पत्र सं0-13/2016/771/क0नि0प्र0/26-3-16-15(195)/2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 27 जून,2016
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजना में बैंकों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष समन्वित योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना बैंकों के सहयोग से संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत गरीबी सीमा रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि क्षेत्र एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में निगम द्वारा प्रदेश में कुल 82,532 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा मात्र 40,551 ऋण आवेदन पत्रों में ही स्वीकृति प्रदान की गयी, शेष 30,666 ऋण आवेदन पत्र बैंक स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित रहे, जो 31 मार्च,2016 के बाद बिना किसी तर्कपूर्ण औचित्य के वापस कर दिये गये हैं। फलस्वरूप केन्द्र सरकार की अपेक्षानुरूप लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। शासन की मंशा के अनुरूप 75 प्रतिशत पूर्ति होने के बाद ही केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि प्राप्त होती है। अतएव बैंकों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रही है, साथ ही लक्षित समुदाय को योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्तीय वर्ष 2016-17 के जनपदवार लक्ष्य प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-340/यो0अनु0/2016-17 दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा जारी किये जा चुके हैं तथा प्रथम त्रैमास हेतु अनुमन्य अनुदान की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

4- उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत योजना की अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करते हुए बैंक स्तर पर लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने हेतु सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। आशा है कि आपके कुशल मार्ग-निर्देशन में शासन की मंशा के अनुरूप प्रश्नगत योजना के वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा विशेष केन्द्रीय सहायता का उपभोग सुनिश्चित हो सकेगा

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या- 13/2016/771/क0नि0प्र0/26-3-16 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0प्र0), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाऊस, वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचितजाति वित्त एवं विकास निगम,लखनऊ ।
4- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(दीनानाथ)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।